Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding repayment to investors by Chit Fund Companies in the country.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के साथ-साथ प्रदेश एंव देश के विभिन्न राज्यों में गरीब एव मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा गत 15-20 वर्षों में विभिन्न चिटफंड कंपनियों एवं सहकारी सोसाइटियों की आर्कषक योजनाओं के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनतकश अल्प पूंजी को अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवेशित किया गया लेकिन उक्त चिटफंड कंपनियों ने जब निवेशकों को आवश्यकता पर वापस पैसे की मांग की गई तो उसे या तो कंपनी के संचालकों द्वारा घोटालों में फंसे होने के साथ-साथ कंपनियों के ताले लगे हुये मिले । इस प्रकार की चिटफंड कंपनियों के कारण देश एवं प्रदेश के करोड़ों अल्प एवं मध्यम वर्गीय निवेशकों को वर्तमान समय में आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है । उन्होंने सम्पूर्ण जीवन भर की कमाई के साथ-साथ हर माह की बचत को इन कंपनियों में जमा करा कर अपने सुरक्षित भविष्य के सपने संजोये थे, जो कि आज अन्धकार में बदल गये हैं । मजबूरीवश आज वे कर्जदार होकर अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे है । कहीं-कहीं जगह तो मजबूरीवश इन निवेशकों को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़ रहे हैं ।

सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के ऐसे लाखों अल्प एवं मध्यम आय के व्यक्ति आज ऐसी चिटफंड कंपनियों जैसे पी.ए.सी.एल., आर्दश क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाईटी, सहारा इंडिया लिमिटेड आदि कंपनियों के संचालको एवं ऐजेन्टों के जाल साज एंव लोक लुभावनी योजनाओं में फंसकर अपनी मेहनत की

गाढ़ी कमाई का निवेश कर ठगे से महसूस कर रहे है और इस संबध में आये दिन जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर उक्त कंपनियों में अपने फंसे पैसों का शीघ्र भुगतान दिलाने की मांग कर रहे हैं । गत दो वर्षों में कोविड-19 के चलते उक्त दिन-प्रतिदिन की रोजी-रोटी कमाने वाले दिहाड़ी, अल्प एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की आज आर्थिक स्थिति दयनीय एंव सोचनीय हो गयी है ।

माननीय सभापति : आप अपना अनुरोध कीजिए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदय, चूंकि वर्तमान में उक्त सभी कंपनियों पर अपने निवेशकों के पुन: भुगतान हेतु केन्द्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, सेबी, अन्य सरकारी वित्तीय जांच एजेन्सियों के साथ-साथ समितियों का गठन एंव लिक्विडेटर आदि के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । लेकिन गत वर्षों में उक्त सरकारी जांच एजेन्सियों की धीमी गति के चलते एंव आर्थिक प्रतिबंधों के कारण निवेशकों को भुगतान न के बराबर हुआ है और प्रकिया चल रही है । जबकि उक्त सभी चिटफंड कंपनियों की परिसम्पतियों का बाजार मूल्य इन कंपनियों के ग्राहकों एंव निवेशकों की कुल लौटाई जाने वाली राशि से अधिक है ।

सभापति महोदय, अत: मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री एंव सहकारिता मंत्री महोदय, आप दोनों से ही व्यक्तिश: निवेदन है कि आप व्यक्तिशः ऐसी चिटफंड कंपनियों जैसे पी.ए.सी.एल., आर्दश क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाईटी, सहारा इण्डिया लिमिटेड आदि देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे दिहाड़ी, अल्प एंव मध्यमवर्गीय परिवारों को उनके द्वारा उक्त कम्पनी में निवेशित जीवनभर की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पुनर्भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करें ।

धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Dr. K. Jayakumar. Please do not take more than one minute.